रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2016/पौष 15, 1937
No. 06] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2016/ PAUSA 15, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 6(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह '**ग**' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में अवर श्रेणी लिपिक से संबंधित क्रम सं. 14 के सामने, स्तभ संख्या (12) में, प्रोन्नति शीर्षक के अधीन, टिप्पण 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्निलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**टिप्पण 4:** अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के सदस्य नही हैं, चाहे ऐसी नियुक्ति बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द (तत्कालीन समूह 'घ') से प्रोन्नति द्वारा हो या कर्मचारी चयन आयोग या अन्यथा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की गई हो अथवा किसी अन्य पद्धति से हो, जिसके अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर या तदर्थ आधार पर नियुक्ति भी है, प्रोन्नति के लिए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट निम्नानुसार होगी:-

(i) यदि नियुक्ति की तारीख पर उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो उनकी नियुक्ति की तारीख से छूट दी जा सकेगी,

(ii) यदि नियुक्ति की तारीख पर उनकी आयु 35 से 45 वर्ष के बीच हैं तो 45 वर्ष की आयु होने पर उन्हें छूट दी जा सकेगी;

(iii) यदि नियुक्ति की तारीख पर उनकी आयु 35 वर्ष से कम है तो, उन्हें अवर श्रेणी के लिपिक के रूप में दस वर्ष की सेवा के पश्चात छूट दी जा सकती है, अन्यथा उन्होंने टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का दो बार प्रयास किया हो; अन्यथा उन्हें 45 वर्ष की आयु का होने पर छूट दी जा सकेगी ;

(iv) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 के प्रारंभ होने से पहले दो बार टंकण परीक्षा दे चुके हैं किंतु अवर श्रेणी लिपिक के रूप में सेवा के आठ वर्ष पूरे नहीं किए है, उन्हें आठ वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से या पैतालीस वर्ष की आयु का होने पर, जो भी पूर्ववर्ती हो, से छूट प्रदान की जा सकेगी।"

[फा. सं. 1(8)/2015-कार्मिक-III]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 660 (अ) तारीख 6 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या, सा.का.नि. 955 (अ) तारीख 07 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2016

G.S.R. 6(E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2010, against serial number 14, relating to the post of Lower Division Clerk, in column number (12), under the heading Promotion:, after Note 3 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"**Note 4:** For persons appointed as Lower Division Clerks to posts which do not belong to Central Secretariat Clerical Service whether such appointment is by promotion from Multi Tasking Staff (erstwhile Group 'D') or by direct recruitment through Staff Selection Commission or otherwise or by any other method including appointment on compassionate ground or on adhoc basis, the exemption from passing typing test for the promotion shall be as follows:-

(i) If above 45 years of age on the date of their appointment, may be given exemption from the date of their appointment;

(ii) If between the age of 35 years and 45 years at the time of appointment, may be given exemption on attaining the age of 45 years;

(iii) If below 35 years of age on the date of appointment, may be given exemption after ten years of service as Lower Division Clerk provided they have made two attempts to pass the typing test; otherwise they may be granted exemption after attaining the age of 45 years;

(iv) Those Lower Division Clerks who have made two attempts for passing the typing test prior to commencement of the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'C' posts), Recruitment (Amendment) Rules, 2015 but have not completed eight years' service as Lower Division Clerk, may be granted exemption from passing the typing test after completion of eight years of service or on attaining the age of forty five years, whichever is earlier".

[F. No.1 (8)/2015-P.III)]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 660 (E), dated the 6th August, 2010 and subsequently amended vide notification number, G.S.R. 955(E), dated the 7th December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.